रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2007/श्रावण 15, 1929
No. 364] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2007/SRAVANA 15, 1929

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 537(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(क) इन नियमों का नाम ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (सदस्यों की नियुक्ति, रिक्तियां भरने की रीति, फीस और भत्ते तथा उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2007 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "महानिदेशक" से धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त ब्यूरो महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) "अधिवेशन" से शासी परिषद् का अधिवेशन अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत उससे संबंधित कोई अन्य कारबार भी है;

(घ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए "सदस्य" से धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ण), खंड (त) और खंड (थ) में निर्दिष्ट शासी परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. **सदस्यों की नियुक्ति.**—(1) केन्द्रीय सरकार शासी परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करेगी, अर्थात् :—

(क) पांच सदस्य, धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अधीन पांच विद्युत क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक;

(ख) चार सदस्य, धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (त) के अधीन उद्योग, उपस्कर और साधित्र विनिर्माता, वास्तुविद और उपभोक्ताओं में से प्रत्येक से एक;

(ग) दो सदस्य जो धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (थ) के अधीन शासी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उप-नियम (1) के खंड (क) के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार प्रत्येक क्षेत्र के संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों के रूप में उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के अपने-अपने अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

(3) उप-नियम (1) के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित रीति में सदस्यों को नियुक्त करेगी, अर्थात् :–

(क) ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन से संबंधित विषयों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या योग्यता रखने वाला एक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की राय में उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है;

(ख) ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन से संबंधित विषयों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या योग्यता रखने वाला एक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की राय में उपस्कर और साधित्र विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है;

(ग) ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन से संबंधित विषयों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या योग्यता रखने वाला एक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की राय में वास्तुविद की वृत्ति का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है;

(घ) ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन से संबंधित विषयों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव या योग्यता रखने वाला एक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की राय में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है ।

(4) उप-नियम (1) के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए नियुक्तियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित में से ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण के संवर्धन के लिए ध्यान केन्द्रित करने के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में से शासी परिषद् से नामनिर्देशन की मांग करेगी, अर्थात् :–

(क) रेल, भूतल परिवहन, विद्युत उत्पादन, इस्पात और भारी उद्योग तथा शहरी विकास जैसे प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ताओं ।

(ख) ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा प्रबंध के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाली वित्तीय संस्थाओं, लघु और मध्यम उद्यमों, परीक्षण गृहों, अभिहित उपभोक्ताओं, अधिभोक्ताओं, अनुसंधान संस्थाओं और प्रबंध संस्थाओं ।

(5) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (3) के अधीन सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली एक चयन समिति का गठन करेगी :–

(क) विद्युत के संबंध में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय में ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण का भारसाधक अपर सचिव या संयुक्त सचिव —अध्यक्ष

(ख) विद्युत के संबंध में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय के भारसाधक सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का नहीं हो —सदस्य

(ग) महानिदेशक —सदस्य

(6) महानिदेशक चयन समिति का संयोजक होगा ।

(7) चयन समिति उस तारीख से, जिसको विद्यमान सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होना है तीन मास के भीतर उप-नियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के चयन को अंतिम रूप देगी ।

(8) चयन समिति उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए दो नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

(9) चयन समिति स्वयं यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति कोई ऐसे वित्तीय या अन्य हित नहीं रखते हैं जिससे सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

4. **रिक्तियां.**—(1) यदि, अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न कारण से, कोई रिक्ति होती है तो केन्द्रीय सरकार उस रिक्ति को भरने के लिए इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी ।

(2) ऐसा कोई सदस्य जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर दिया है आगे और नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

5. **पद त्याग.**—कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हाथ से लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और पद त्याग केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके स्वीकार की तारीख से या एक मास की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा ।

6. **फीस और भत्ते.**—(1) प्रत्येक पदेन सदस्य और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से सहयुक्त या उसके अधीन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ब्यूरो की निधियों से कोई फीस, यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता निकालने के लिए हकदार नहीं होंगे ।

(2) प्रत्येक अन्य सदस्य किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए केवल पांच सौ रुपए की बैठक फीस का हकदार होगा ।

(3) स्थानीय सदस्य प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक वाहन किराया प्रभार के रूप में स्थानीय वाहन किराया प्रभार की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण : ऐसे अधिवेशन को, जो एक बैठक से अधिक विस्तारित किया गया हो, एक ही अधिवेशन माना जाएगा ।

(4) कोई सदस्य अपने सामान्य निवास स्थान से और वापसी के लिए अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए रेलगाड़ियों से जिसके अंतर्गत राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी आदि भी हैं, कम दूरी वाले मार्ग से प्रथम श्रेणी या द्वितीय वातानुकूलित यान में रेल द्वारा या मितव्ययी श्रेणी में वायुयान द्वारा यात्रा कर सकेगा और यदि वह अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्टेशन से यात्रा करता है तो किराए की प्रतिपूर्ति निवास स्थान से उस स्थान तक ही निर्बंधित होगी ।

(5) जहां यात्राएं सड़क द्वारा की जाती हैं वहां प्रतिपूर्ति रेल द्वारा प्रथम श्रेणी के किराए तक सीमित होगी ।

(6) (क) कोई बाह्य सदस्य निम्नलिखित के लिए एक कमरे के किराए की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा–

(i) किसी सरकारी अतिथि गृह या होटलों, जनपथ होटल जैसे मध्यम दर्जे के भारतीय पर्यटन विकास निगम होटलों या भारतीय अंतरराष्ट्रीय केन्द्र या इंडिया हेबिटेट सेंटर जैसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास सुविधा में एक कमरे में ठहरने के लिए ;

(ii) प्राइवेट वास गृहों या होटलों में, ऐसी दरों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट सीमाओं तक अनुज्ञात की जाएं, ठहरने के लिए ।

(ख) दैनिक भत्ते की सामान्य दरों का 90% की दर से ऐसे दैनिक भत्ते जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट भोजन व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए सिविल सेवकों की उच्चतम श्रेणी को अनुज्ञेय हों ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक किराया प्रभार ।

7. **सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.**–(1) किसी अधिवेशन में किसी सदस्य द्वारा भाग लेना ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (शासी परिषद् के कारबार के संचालन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2005 द्वारा विनियमित होगा ।

(2) प्रत्येक सदस्य, किसी अधिवेशन में भाग लेते समय अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी को सूचित करेगा कि उक्त अधिवेशन में विचार किए जाने वाले विषय में उसका या उसके किसी संबंधी या मित्र का कोई धनीय हित है और उसके पश्चात् उस विषय पर चर्चा की समाप्ति तक उस अधिवेशन में उपस्थित रहने से प्रविरत रहेगा ।

[फा. सं. 13/9/2003-ई एम]

गिरीश भा. प्रधान, संयुक्त सचिव